

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या. 11820/2019

1. चंदर पुत्र यादराम, पत्नी बने सिंह
2. कुसुम पुत्री यादराम, पत्नी सीताराम,
दोनों निवासी खेड़ा ब्राह्मण, तहसील डीग, जिला भरतपुर, राजस्थान।
3. ग्यासन पुत्री जवाली राम, पत्नी लेफ्टिनेंट हरि सिंह, (मृतक) एलआर' एस के माध्यम से
- 3/1. रामेश्वर पुत्र स्वर्गीय हरि सिंह
- 3/2. अरुण पुत्र स्वर्गीय श्री हरि सिंह,
दोनों निवासी भीम नगर, तहसील बयाना, जिला भरतपुर, राजस्थान।
- 3/3. गीता पुत्री स्वर्गीय हरि सिंह, पत्नी शिवदयाल,
- 3/4. सरोज पुत्री स्वर्गीय हरि सिंह, पत्नी राजवीर,
- 3/5. सुषमा पुत्री स्वर्गीय हरि सिंह, पत्नी चंद्रपाल,
सभी निवासी ग्राम व पोस्ट पिपरोंद, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. चंदन पुत्र लीला,
2. मूलचंद पुत्र लीला, दोनों निवासी खेड़ा ब्राह्मण, तहसील डीग, जिला भरतपुर, राजस्थान।
3. सनेही राम पुत्र लीला, (मृतक), एलआर' एस के माध्यम से:
- 3/1. फूलवती पत्नी स्वर्गीय सनेही राम,
- 3/2. मंगतू पुत्र स्वर्गीय सनेही राम,
- 3/3. रिकू पुत्र स्वर्गीय सनेही राम,
सभी निवासी खेड़ा ब्राह्मण, तहसील डीग, जिला भरतपुर, राजस्थान।
- 3/4. सरोज पुत्री स्वर्गीय सनेही राम, पत्नी कृष्ण मुरारी,
- 3/5. पुष्पा पुत्री स्वर्गीय सनेही राम, पत्नी भगत,
दोनों निवासी ग्राम व पोस्ट नंदगांव, तहसील छाता, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश।
- 3/6. हेमा पुत्री स्वर्गीय सनेही राम, निवासी भरतपुर, जिला भरतपुर
- 3/7. ओमवती पुत्री स्वर्गीय सनेही राम, पत्नी सुरेश, निवासी ग्राम आन्योर,
पोस्ट गोवर्धन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश।
4. दीनदयाल उर्फ दीना पुत्र यादराम,
5. नरोत्तम सिंह पुत्र यादराम,
6. प्रेम चंद पुत्र जवाली राम, (मृतक) एलआरएस के माध्यम से।
- 6/1. श्रीमती गुड्डी पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेम चंद,
- 6/2. लोकेश पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम चंद, (मृत्यु के बाद से)
- 6/2/1. लता पत्नी स्वर्गीय श्री लोकेश,

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/710/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:55:34 बजे डाउनलोड किया गया)

- 6/2/2. साहिल पुत्र स्वर्गीय श्री लोकेश, उम्र लगभग 13 वर्ष,
 6/2/3. मयंक पुत्र स्वर्गीय श्री लोकेश, उम्र लगभग 11 वर्ष, संख्या 6/2/2 और
 6/2/3 नाबालिग हैं, प्राकृतिक संरक्षक मां लता पत्नी स्वर्गीय श्री लोकेश
 के माध्यम से, सभी निवासी खेड़ा ब्राह्मण, तहसील डीग, जिला भरतपुर,
 (राज.)
 6/3. हेमराज पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम चंद,
 6/4. नरेंद्र पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम चंद,
 6/5. सौरभ पुत्र स्वर्गीय श्री प्रेम चंद,
 सभी निवासी खेड़ा ब्राह्मण, तहसील डीग, जिला भरतपुर, राजस्थान।
 7. सांता पत्नी छत्तर,
 8. हरभान पुत्र छत्तर,
 9. पूनम पुत्री छत्तर,
 10. खोका पुत्र छत्तर,
 11. सचिन पुत्र छत्तर,
 12. स्वाति पुत्री छत्तर,
 सभी निवासी खेड़ा ब्राह्मण, तहसील डीग, जिला भरतपुर, राजस्थान।
 13. मुन्नी पुत्री जवाली राम, पत्नी हरख्याल सिंह, (मृतक) एलआरएस के
 माध्यम से:-
 13/1. उमेश पुत्र स्वर्गीय श्री हरख्याल सिंह, निवासी गांव व पोस्ट कठूमर,
 जिला अलवर।
 13/2. शकुंतला पुत्री स्वर्गीय श्री हरख्याल सिंह, पत्नी गयान,
 13/3. अनीता पुत्री स्वर्गीय हरख्याल सिंह, पत्नी केशर,
 13/4. संजू पुत्री स्वर्गीय हरख्याल सिंह, पत्नी रविन्द्र,
 13/5. पिकी पुत्री हरख्याल सिंह, पत्नी भरत लाल,
 सभी निवासी बड़ोकर, तहसील कठूमर, जिला अलवर, राजस्थान।
 14. बीरमा पुत्री लीला, निवासी खेड़ा ब्राह्मण, तहसील डीग, जिला भरतपुर,
 राजस्थान।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री एस.एल.शर्मा
 उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री एम.एम.रंजन, वरिष्ठ अधिवक्ता, के
 साथ श्री रोहन अग्रवाल और
 श्री गणेश चंद्र गुप्ता के साथ

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश

आरक्षित तिथि : 08/10/2024

घोषित तिथि : 17/10/2024

(इस मामले में डी.बी.एस.एडब्ल्यू/710/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:55:34 बजे डाउनलोड किया गया)

1. यह याचिका राजस्व मंडल, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा पारित दिनांक 30.04.2019 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 3 (जिन्हें आगे 'प्रतिवादी' कहा जाएगा) द्वारा दायर पुनरीक्षण को स्वीकार किया गया था।
2. इसमें शामिल मुद्दा अपील दायर करने में पैंतीस वर्ष से अधिक की देरी को माफ करने का है।
3. प्रासंगिक तथ्य यह है कि विवाद खसरा संख्या 36/1.16, 37/1.15, 38/1.7, 39/1.8 और 40/1.13 वाली भूमि से संबंधित है, जो डीग तहसील के खेड़ा ब्राह्मण में स्थित है। वर्ष 1969 में, प्रतिवादियों के पिता ने घोषणा के लिए वाद दायर किया था। यह तर्क दिया गया कि पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर, संवत् 2010 (वर्ष 1953) में याचिकाकर्ताओं के पिताओं ने पट्टे के माध्यम से प्रतिवादियों के पिता को विचाराधीन भूमि पर खातेदारी अधिकार और कब्जा दे दिया था और तब से वे उस पर खेती कर रहे थे। वाद में पक्षकारों के बीच हुए समझौते का आधार साक्षी नाथी के बयान से प्रमाणित हुआ। समझौते के अनुसार, प्रश्नगत भूमि का कब्जा संवत् 2010 से खातेदार काश्तकार के रूप में प्रतिवादियों के पिता के पास था। वाद का निर्णय 13.07.1970 को हुआ। याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2016 में इस निर्णय और निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की और साथ ही पैंतीस वर्षों से अधिक की देरी को क्षमा करने का आवेदन भी दिया। अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 09.07.2014 के आदेश द्वारा देरी को क्षमा कर दिया। प्रतिवादियों द्वारा दायर पुनरीक्षण को बोर्ड ने 30.04.2019 को स्वीकार कर लिया और देरी को क्षमा करने के आदेश को रद्द कर दिया। अतः, वर्तमान याचिका।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह लेन-देन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 का अधिनियम') की धारा 42 के विपरीत है और शून्य है। तर्क यह है कि याचिकाकर्ताओं के पिताओं को डिक्री की सूचना नहीं दी गई थी और 20.02.2006 को जानकारी मिलने पर अपील दायर की गई। तर्क यह है कि विलंब को क्षमा करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा छैल सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य, 2008 एससीसी ऑनलाइन राजस्थान 843 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/710/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:55:34 बजे डाउनलोड किया गया)

5. प्रतिपक्ष के अनुसार, खातेदारी अधिकार और संबंधित भूमि का कब्जा वर्ष 1953 में स्थानांतरित किया गया था, अर्थात् 1955 के अधिनियम के लागू होने से पहले। 1955 के अधिनियम की धारा 15 पर भरोसा किया जाता है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि प्रतिवादियों के पिता 1955 के अधिनियम के लागू होने के समय कब्जे में किरायेदार होने के नाते खातेदारी अधिकारों के हकदार थे। तर्क यह है कि पैंतीस साल से अधिक की लंबी देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

6. अपीलीय प्राधिकारी ने विलम्ब को क्षमा करते हुए इस आधार पर कार्यवाही की कि समझौते के आधार पर दिया गया निर्णय और डिक्री, 1955 के अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क स्वीकार किया गया कि उन्हें डिक्री की जानकारी फरवरी, 2006 में प्राप्त हुई।

7. वाद का निर्णय केवल समझौते के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि वादी 1953 से अपने कृषि कब्जे को साबित करने में सक्षम था। इसके अलावा, 1955 के अधिनियम की धारा 42, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा खातेदारी अधिकारों को ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करने पर रोक लगाती है जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, 24.03.1955 से लागू की गई थी, जबकि अधिकारों का हस्तांतरण और संबंधित भूमि पर कब्जा 1953 में दिया गया था।

8. याचिकाकर्ताओं द्वारा फरवरी, 2006 में निर्णय और डिक्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्पष्ट बयान के अलावा, पैंतीस वर्ष, सात महीने और चौबीस दिन की देरी को माफ़ करने के लिए स्वीकार करने लायक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह तर्क कि याचिकाकर्ताओं के पिता ने उन्हें निर्णय और डिक्री के बारे में नहीं बताया था, समय सीमा को नहीं बढ़ाएगा और पैंतीस वर्ष से अधिक की अत्यधिक देरी को माफ़ करने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने का मामला नहीं बनेगा।

9. ओरिएंटल एरोमा केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम गुजरात औद्योगिक विकास निगम एवं अन्य, 2010 (5) एससीसी 459 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है:-

“हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है। परिसीमा कानून लोक नीति पर आधारित है। विधायिका पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट करने के उद्देश्य से परिसीमा कानून निर्धारित नहीं करती, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि वे विलम्बकारी हथकंडे न अपनाएँ और बिना विलम्ब के उपाय प्राप्त करें। विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय विधायिका द्वारा निर्धारित अवधि तक सक्रिय रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, परिसीमा कानून एक अवधि निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी क्षति के निवारण के लिए कानूनी उपाय का लाभ उठाया जा सकता है। साथ ही, न्यायालयों को विलंब

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/710/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:55:34 बजे डाउनलोड किया गया)

को क्षमा करने का अधिकार भी प्राप्त है, यदि निर्धारित समय के भीतर उपाय का लाभ न उठाने के लिए पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 और इसी प्रकार के अन्य कानूनों में प्रयुक्त "पर्याप्त कारण" शब्द इतना लचीला है कि न्यायालय कानून को सार्थक तरीके से लागू कर सकें जो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। यद्यपि, विलंब क्षमा के आवेदनों पर विचार करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, फिर भी इस न्यायालय ने विलंब क्षमा करने में उदार दृष्टिकोण अपनाने की उचित रूप से वकालत की है। अल्प अवधि की देरी और जहां देरी अत्यधिक हो वहां सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।"

(ज़ोर)

10. याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा छैल सिंह (सुप्रा) के फैसले पर भरोसा करना बेकार है। इसमें निपटाए गए मुद्दे थे: (i) कि पारित सहमति डिक्री 1955 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों से प्रभावित होगी; (ii) कि 1955 के अधिनियम की धारा 175 और 232 के बीच कोई संघर्ष नहीं है, दूसरे शब्दों में, यह नहीं माना जा सकता है कि धारा 175 के मद्देनजर, अधिकारी धारा 232 के तहत आगे नहीं बढ़ सकते हैं और; (iii) धारा 232 के तहत कोई सीमा निर्धारित नहीं है और शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना है, जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वर्तमान में धारा 232 के तहत संदर्भ का मामला नहीं है, लेकिन अपील 1955 के अधिनियम की धारा 223 के तहत दायर की गई थी और धारा 228 के तहत अपील दायर करने की सीमा डिक्री की तारीख से साठ दिन की है।

11. यह तर्क कि 1955 के अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों से प्रभावित निर्णय और डिक्री शून्य है, सही रूप से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया था कि 1955 के अधिनियम की धारा 42 वर्ष 1953 के लेनदेन पर लागू होती है।

12. बोर्ड के विवादित आदेश में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है, यहाँ तक कि कोई विकृति भी नहीं है। तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।

13. लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

(अवनीश झिंगन), जे

वृजेश शर्मा पी.एस.

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

(इस मामले में डी.बी.एस.एडब्ल्यू/710/2024 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:55:34 बजे डाउनलोड किया गया)

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate